न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.

निगरानी संख्या 01/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्यामसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत बांटा पंचायत समिति गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. सरपंच ग्राम पंचायत आलपुरा पंचायत समिति गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. जगाराम पुत्र मोतीराम 4. चेनाराम पुत्र मोतीराम 5. थानाराम पुत्र मोतीराम 6. हांसी पत्नी मोतीराम जाति कलबी निवासी कलबियों का वास, आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 27 क राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 सपठित धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त करने पट्टा संख्या 12 दिनांक 5.3.1979 जो ग्राम पंचायत बांटा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थित– 1. श्री रतनाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मोहनलाल बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 एक तरफा।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक– 20.08.2018

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बांटा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के पिता व पति मोतीराम के पक्ष में जारी किये गये विक्रय विलेख पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

को निरस्त करने हेतु धारा 27 क राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 एवं सपठित धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. संक्षेप में प्रार्थी की प्रस्तुत निगरानी के तथ्य यह हैं कि ग्राम पंचायत बांटा ने अप्रार्थी संख्या 03 से 05 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 06 के पति मोतीराम को ग्राम आलपुरा की आबादी में पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा जारी किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर ग्राम पंचायत बांटा द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत जांच एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाकर बिना रिकॉर्ड संधारण किये विधि विरूद्व पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज किया जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत बांटा से पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1079 से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बांटा ने पत्र संख्या 193 दिनांक 6.6. 2017 के द्वारा वर्ष 1978–79 के अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बांटा द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं करना एवं पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया।

3. अप्रार्थीगण संख्या 03 से 06 को एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक तीन बार अलग–अलग समय में आवाजें लगाई गई परन्तु अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए एवं न ही अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अप्राथीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 9.5.2017 को वकालतनामा पेश करने बाबत् अण्डरटेकिंग दिया गया था, परन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया, फलस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 03 से 06 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. प्रकरण में बहस एक तरफा सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रकट किया कि अप्रार्थीगण संख्या 03 से 06 के पिता एवं पति के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, उसमें राजस्थान पंचायत नियमों की पूर्णतया अनदेखी की गई है, पट्टा जारी करते समय नियम 256 से 266 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल कायम नहीं की गई है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बांटा ने विशेष लोगों को निजी लाभ पहुंचाने की नियत से, मौके की जांच किये बिना ही, अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर बहुत बड़े क्षैत्र का पट्टा जारी किया गया है। सरपंच

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा जारी पट्टे पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड कायम नहीं किया एवं बिना मौका देखे उक्त भूमि के स्वामित्व व कब्जे की जांच किये बिना ही नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया गया है, इसलिये प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बांटा द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 निरस्त किया फरमाया जावे।

5. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस प्रकट तथ्यों तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा निगरानी में बताये गये तथ्य एवं प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, क्योंकि इस तथ्य का प्रमाण भार प्रार्थी पर था, प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत बांटा द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके स्वामित्व, आधिपत्य में है। वैसे भी जहॉ भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, स्वामित्व तय करने के लिए प्रार्थी को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। निगरानी के माध्यम से भूमि पर स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत बांटा ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत बनाये गये आबादी भूमि के बिक्री एवं आवंटन के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है, जिसके अनुसार नियम 256 के तहत कोई भी व्यक्ति पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है तो वह पंचायत को लिखित रूप में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसा वर्णन होना चाहिये जो खरीदी जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए प्रर्याप्त हो। नियम 256(2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने के लिये 2/–रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा और प्रकरण की एक पत्रावली कायम की जायेगी। तत्पश्चात् नियम 257(2) के अनुसार एक नक्शा किसी योग्य व्यक्ति से तैयार करवाया जावेगा व नियम 257(5) के अनुसार तैयार किये गये नक्शे में बेची जाने वाली भूमि को लाल स्याही द्वारा दर्शाई जावेगी तथा उस पर आवेदक के तथा उस व्यक्ति के जिसने इसे तैयार किया है, के हस्ताक्षर होगें। नियम 258 के तहत 3 पंचो की कमेटी से स्थल निरीक्षण करने का प्रावधान है, जो उप नियम (1) के अधीन क से ख में अपनी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रिपोर्ट देगी। मौका रिपोर्ट के बाद पंचायत को नियम 259 के तहत अन्तिम विनिश्चय पारित करना चाहिये। इसके बाद नियम 260 के अनुसार पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया जावेगा व उजरदारी सुनायी जावेगी इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करनी चाहिये थी। नियम 261 के नीचे आपत्तियों का निपटारा किया जाकर नियम 262 के तहत नीलामी की जावेगी तथा नीलामी की कार्यवाही होने के बाद में उसे नियम 265 के तहत स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 की छाया प्रति के अवलोकन से अप्रार्थी को यह पट्टा नियम 266(घ) के तहत जारी करना पाया गया है। नियम 266 (घ) के तहत जहॉ किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है, वहॉ विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई भाग और जहॉ कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहॉ विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित (वूसल) किया जायेगा, मगर अप्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इससे यह प्रकट होता हैं कि ग्राम पंचायत बांटा ने उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना एवं मिसल कायम किये बिना पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैद्यता, शुद्वता एवं औचित्यता का मूल रेकर्ड से पुनरीक्षण करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बांटा ने कायम की गई मिसल, कार्यवाही रजिस्टर एवं मूल पट्टा आदि रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया हैं। ग्राम पंचायत बांटा से रिकार्ड तलब करने पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बांटा ने अपने पत्र दिनांक 6.6.2017 द्वारा वर्ष 1978–79 में आबादी भूमि में ग्राम पंचायत बांटा द्वारा कोई पट्टा जारी नहीं करना एवं पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 से सम्बन्धित कायम की गई मिसल, रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। हस्तगत निगरानी में ग्राम पंचायत प्रभावी पक्षकार है ग्राम पंचायत ने जो तथ्य प्रकट किये है, उसके सम्बन्ध में देखा जावे तो पट्टे के सम्बन्ध में जो लिखित में अभिव्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई है वह अभिलेख पर है तथा सरपचं ग्राम पंचायत को ग्राम के प्रति तमाम शक्तियॉ निहित होती है। प्रस्तुत निगरानी में यदि ग्राम पंचायत कोई अभिव्यक्ति व्यक्त करती है तो उसे विधि विरूद्व नहीं माना जा सकता। इस प्रकार

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इस मामले में ग्राम पंचायत बांटा ने बिना रिकार्ड कायम किये एवं नियमों में अंकित प्रक्रिया को अपनाए बिना जारी पट्टे की सत्यता निर्विवाद रूप से साबित नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है साथ ही कोई साक्ष्य सबूत एवं रिकार्ड उपलब्ध कराने में असफल रहे है, जिसके अभाव में पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 को बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बांटा द्वारा अप्रार्थीगण सं. 3 से 5 के पिता एवं अप्रार्थी सं. 6 के पति मोतीराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 05.03.1979 खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)